MJCR 42/2023

प्रियंका विरुद्ध ललित व अन्य

आदेश दिनांक 14-09-2024

नोटः–प्रकरण आज दिनांक 14/09/2024 को नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ कमांक–10 के समक्ष प्रस्तुत।

आवेदिका द्वारा श्रीमती प्रियंका पाण्डे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदकगण अनिर्वाहित।

प्रकरण अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर आवेदिका की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदकगण के मध्य बिना किसी डर, दवाब व लालच के राजीनामा हो गया है और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित होने से अनावेदकगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 की धारा 12 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। लोक अदालत में मामलों का निपटारा धारा–20 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन किया जाता है। धारा–20(4) यह उपबंधित करती है कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा अर्थात् समझौता या परिनिर्धारण यथासाध्य शीघ्रता से न्याय, साम्या, ऋजुता तथा अन्य विधिक सिद्धांतों से मार्गदर्शित होते हुए न्यायालय द्वारा किया जायेगा। प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदकगण के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है और आवेदिका अनावेदकगण के विरूद्ध कोई विचारण नहीं चाहती है। आवेदक क्र. 2 नाबालिक होने से आवेदिका क्र. 1 द्वारा प्रकरण का संचालन किया जा रहा था। आवेदिका अभिभाषक द्वारा भी कोई विवाद शेष नहीं होने के आधार पर मामला समाप्त किया जाना प्रार्थित किया है। ऐसी स्थिति में जब उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके है तब प्रकरण का विचारण निरंतर रखने को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण में अनावेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण में पूर्ववत नियत दिनांक 04.10.2024 निरस्त की जाती है।

आदेश सीआईएस साफ्टवेयर डिजिटल हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में व्यवस्थित कर नियमानुसार अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य
(श्री दीपक सक्सेना)

(कंचन देव शिवहरे)
पीठासीन अधिकारी,
नेशनल लोक अदालत खंड पीठ क्र. 10
सुसनेर, जिला आगर मालवा म.प्र.

KANCHAN CHOUKSEY

Digitally signed by KANCHAN CHOUKSEY